डीजी परिपत्र सं0 29 /2025

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक: जुलाई 31, 2025

विषयः- अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने तथा पुलिस अभिरक्षा के दौरान अभियुक्तों के साथ दुर्व्यवहार न किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया परिपत्र के साथ संलग्न विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-20330/2023 विजय पाल यादव बनाम ममता सिंह व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.03.2025 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या-2600/2019 सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 18.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा मानव गरिमा के अधिकार को सुरक्षित रखने हेतु समय-समय पर अपने न्यायिक निर्णयों के माध्यम से दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनके अनुपालन हेतु इस मुख्यालय स्तर से समय-समय पर पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित डीजी परिपत्रों के माध्यम से दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

डीजी परिपत्र सं0–05/2025 दि0 20.02.2025
डीजी परिपत्र सं0–31/2024 दि0 17.07.2024
डीजी परिपत्र सं0–14/2024 दि0 26.03.2024
डीजी परिपत्र सं0–07/2023 दि0-16.02.2023
डीजी परिपत्र सं0–20/2022 दि0-16.07.2022
डीजी परिपत्र सं0–14/2022 दि0 01.06.2022
डीजी परिपत्र सं0–25/2021 दि0 31.07.2021
डीजी परिपत्र सं0–05/2021 दि0 19.02.2021
डीजी परिपत्र सं0–50/2018 दि0 13.09.2018
डीजी परिपत्र सं0–10/2018 दि0 17.03.2018

2- विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-20330/2023 उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लगभग 1.5 घण्टे बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने तथा अभिरक्षा में उसके साथ दुर्व्यवहार किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया है, इसी प्रकार विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या-2600/2019 उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा पुलिस अभिरक्षा के दौरान अभियुक्त के साथ किये गये दुर्व्यवहार पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उपरोक्त संदर्भित न्यायिक निर्णयों की प्रति समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुपालन हेतु प्रेषित किये जाने का आदेश किया गया है।

3- विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-20330/2023 में पारित आदेश दिनांकित 26.03.2025 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व न्यायिक निर्णय विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या-2600/2019 सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य के प्रस्तर-24 पर विशेष बल देते हुए अनुपालन की अपेक्षा की है।

4- विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या-2600/2019 के प्रस्तर-24 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय निम्नवत टिप्पणी की गयी है—

> 24. It is sad that even today, this Court is forced to restate the principles and directions in D K Basu (supra). Before D K Basu (supra), this Court had expressed its concern as to how best to safeguard the dignity of the individual and balance the same with interests of the State or investigative agency in Prem Shankar Shukla v Delhi Administration, (1980) 3 SCC 526. In Bhim Singh, MLA v State of Jammu and Kashmir, (1985) 4 SCC 677, this Court noted that police officers are to exhibit

.....2

greatest regard for personal liberty of citizens and restated the sentiment in Sunil Gupta v State of Madhya Pradesh, (1990) 3 SCC 119. The scenario in Delhi Judicial Service Association v State of Gujarat, (1991) 4 SCC 406 prompted this Court to come down heavily on excess use of force by the police. As such, there will be a general direction to the police forces in all States and Union Territories as also all agencies endowed with the power of arrest and custody to scrupulously adhere to all Constitutional and statutory safeguards and the additional guidelines laid down by this Court when a person is arrested by them and/or remanded to their custody.

5- अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना तथा तथा अभिरक्षा के दौरान उनके साथ गरिमामय व्यवहार किया जाना आवश्यक है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित न्यायिक निर्णय विशेष रूप से उल्लेख किया है—

1. D K Basu v State of West Bengal, (1997) 1 SCC 416
2. Sube Singh v State of Haryana, (2006) 3 SCC 178
3. Prem Shankar Shukla v Delhi Administration, (1980) 3 SCC
4. Bhim Singh, MLA v State of Jammu and Kashmir, (1985) 4 SCC 677
5. Sunil Gupta v State of Madhya Pradesh, (1990) 3 SCC
6. Delhi Judicial Service Association v State of Gujarat, (1991) 4 SCC 406

6- अतः आप सभी को निर्देशित कियाजाता है कि न्यायिक निर्णय में संदर्भित सभी विधि व्यवस्थाओं तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत डीजी परिपत्रों का गहनता से अध्ययन करते हुये समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन कर जनपदीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विस्तार से अवगत कराते हुए इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा इन निर्देशों का पालन न करने का कोई दृष्टान्त प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था),उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।